[illegible]

... उपस्थित वास्ते तलबी दि० 11.5.18

को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी, महुवा

27/4/18 एतश्च:- राजस्व लोक अदालत- न्याय आपके द्वार के लिए पत्रावली प्राप्त की गई। पक्षकारों को नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 11.5.18 को लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र रींदली में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 11-05-2018

आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प रींदली पेश हुई। पक्षकारान में से कोई भी उपस्थित नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह वाद पत्र वादी रामहेत व देवीसहाय द्वारा दिनांक 12-7-2100 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। किन्तु प्रतिवादीगण की तलबी करवाने में कोई रूचि नहीं ली गयी है इसके अलावा दौराने दावा वादीगण व प्रतिवादी संख्या पप्पू सरदार के पिता हीरालाल का भी देहान्त हो चुका है। वादीगण के वारिसान की ओर से रिकार्ड पर आने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमाबंदी संवत 2073-76 के अनुसार खातेदारों के हिस्सा में भी परिवर्तन हो चुका है किन्तु वाद में कोई संशोधन नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में वाद चलने योग्य नहीं पाया जाता है।

वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)
कैम्प रींदली